5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनीरक्षण निगरानी- 5026/2018/रीवा/भू.रा.

रामकरन पिता गुल्लू पटेल

निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना

जिला रीवा (म.प्र.)

श्री मुकेश भार्गव अधि० द्वारा आज दि० 16-8 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-8 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-8-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. सतानंद पुत्र हनुमान पटेल
2. हनुमान पुत्र गरूण पटेल
दोनों निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... असल अनावेदकगण

3. कामता 4. रामनिहोर पुत्रगण सिद्धनाथ
5. भागीरथी 6. भारत 7. मिठाईलाल
8. रामसहोदर 9. केशरी 10. खुशीलाल

कं. 5 ता 10 सभी के पिता राजमणि पटेल

11. मनोज 12. नर्वदा पुत्रगण जानकी पटेल
13. रामसखा 14. हीरालाल 15. रामा पुत्रगण कतवारू
16. बेबा निहठी पत्नी कतवारू
17. पंकज पिता रामशिरामणि नाबालिग बली रामसखा पटेल
18. अंजू पिता रामशिरोमणि
19. धोधवा बेबा लोकनाथ
20. महेश 21. सुरेन्द्र पुत्रगण स्व. लोकनाथ

सभी निवासीगण ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव 16-8-18 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा प्र.कं. 99 ए–27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, भूमि ख.नं. 161 रकवा 0.624 है. एवं 147 रकवा 0.619 है. भूमि में आवेदक रामकरन का हिस्सा 1/4 राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वामी होकर संयुक्त खाते में दर्ज होने से अपना हिस्सा 1/4 पृथ किये जाने बावत आवेदक ने संहिता की धारा 178 के तहत बंटवारा किये जाने बावत तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर तहसील न्यायालय ने प्र. कं. 47 ए–27/16–17 दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करे हुये आदेश दिनांक 19.01.2017 द्वारा बंटवारा किये जाने का आदेश पारित किया।

3– यह कि, वाद भूमि खनं. 161 रकवा 0.624 है. एवं ख.नं. 147 रकवा 0.619 है. भूमि के जितने व्यक्ति अभिखित भूमिस्वामी थे उक्त सभी व्यक्ति तहसील न्यायालय में पक्षकार थे उक्त सभी व्यक्तियों को हिस्सेनुसार बटवांरा में भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त सभी व्यक्ति बटवांरा आदेश से सहमत थे उनके द्वारा अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष कोई अपील पेश नहीं कीं।

4– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक कं. 1 सतानंद एवं कं. 2 हनुमान ने अपील पेश की है। उक्त दोनों व्यक्ति तहसील न्यायालय में पक्षकार नही थे। अनावेदक कं. 2 हनुमान न तो सहखतोदार हैं न ही वाद

(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/5026/18/रीवा/भू.रा., रामकरण/सदानन्द

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिववक्ता द्ववारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 99/A-27/16-17 में पारित आदेश दिनांक 02/08/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	